प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

Deputy Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench New Delhi.

पत्रांक 302 /खनिज/2024 दिनांक 01/05/2024

विषयः– ओ0ए0 नं0–494/2024 Suo Moto Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board and others के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ओ0ए0 नं0–494/2024 Suo Moto Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board and others में मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 27.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न समाचार के शीर्षक ''बालू खनन जोरो पर'' पर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

नोटिस दिनांक 27.04.2024 के क्रम में आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

1.5.24

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

समक्ष माननीय न्यायालय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0), नई दिल्ली।
ओ0ए0 नं0–494 / 2024

Suo Moto

.... याची

बनाम

Uttar Pradesh Pollution Control Board and others

........................उत्तरदाता

स्वयं संज्ञान के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–494 / 2024 Suo Moto Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board and others दर्ज की गयी, जिसमें उल्लिखित है कि विढमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जीवनदायनी कनहर नदी व मालिया नदी से प्रतिदिन शाम ढलते ही दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टरों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र की जाँच तहसीलदार दुद्धी, खान निरीक्षक सोनभद्र, खनन सर्वेक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 30.04.2024 को की गयी। संयुक्त जाँच आख्या / स्पाट मेमो *(संलग्नक–1)* में उल्लिखित है कि:– "मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नोटिस दिनांक 27.04.2024 ओ0ए0 नं0–494 / 2024 के साथ संलग्न समाचार पत्र शीर्षक "बालू खनन जोरो पर" के क्रम में आज दिनांक 30.04.2024 को (दिन में) विढमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली कनहर नदी व मलिया नदी से प्रतिदिन शाम ढलते ही दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टरों से अवैध खनन / परिवहन की शिकायत पर खनन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त टीम के साथ कनहर नदी व मलिया नदी के किनारे बसे ग्रामों बरखोहरा, बैरखड़, हरपुरा, घोरपा, जामपानी, ड्योढ़ी व जाताजुआ, पतरिहा, जोरूखाड़, धिवही, फुलवार, हरनाकछार परगना व तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र के बालू खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया:–

जाँचोपरान्त पाया गया कि कनहर नदी व मलिया नदी में बालू के पुराने छोटे–छोटे खुदे हुए कई स्थानों पर गड्ढे दिखायी दिये। मौके पर कोई भी ताजा खनन / खुदाई का निशान नहीं पाया गया। उक्त नदियों के किनारे बसे अलग–बगल के ग्रामवासियों से बालू के खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, तो उन लोगो के द्वारा बताया गया कि कभी–कभी ग्रामवासियों के द्वारा अपने निजी कार्य हेतु ट्रैक्टर टाली से बालू ले जाते थे। वर्तमान के समय में उपरोक्त ग्रामों में कोई भी अवैध खनन / परिवहन नहीं हो रहा है।"

क्षेत्र पर सतत् निगरानी रखी जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में किसी भी दशा में बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन न होने पाये।

अतः ओ0ए0 नं0–494 / 2024 Suo Moto Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board and others के अनुपालनार्थ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

1.5.24

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

संयुक्त जाँच आख्या / स्पाट मेमो

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नोटिस दिनांक 27-4-24 OA सं०-494/2024 के साथ संलग्न समाचार पत्र के शीर्षक "बालू खनन जोरों पर" के क्रम में आज दिनांक 30-4-24 को (दिन में) विण्ढमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली कनहर नदी व मलिया नदी के घटीहट ग्राम के हलके की पट्टियों की संख्या में दबंगों के अवैध खनन/परिवहन की शिकायत पर खनन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त टीम के साथ कनहर नदी व मलिया नदी के किनारे बसे ग्रामों बरखोहरा, बैरखड़, हरपुरा, धोरपा, जामपानी, डूमरी व जाबाजुआ, पतरिहा, जोरूखाड़, चिवली, कुलबार, हरनाकछार प०व तह० दुद्धी जिला सोनभद्र में बालू खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया -

जाँचोपरान्त पाया गया की कनहर नदी व मलिया नदी में बालू के पुराने छोटे-छोटे खुदे हुये कई स्थानों पर गड्ढे दिखायी दिया। मौके पर कोई भी ताजा खनन/खुदाई का निशान नहीं पाया गया। उक्त नदियों के किनारे बसे अगल-बगल के ग्रामवासियों से बालू के खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो उन लोगों के द्वारा बताया गया की कभी-कभी ग्रामवासियों के द्वारा अपने निजी कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्राली से बालू ले जाते थे। वर्तमान के समय में उपरोक्त ग्रामों से कोई भी अवैध खनन/परिवहन नहीं हो रहा है।

अस्तु रिपोर्ट जाँच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(i) संलग्नक -
स्थल का फोटो ग्राफ

Manoj.
30/04/24
(MI)

30/04/2024
तहसीलदार
दुद्धी-सोनभद्र

30/04/2024
Surveyor.
mining deptt.
Sonbhadra.

30-4-2024

30-4-2024

vivo V23 Pro
Apr 30, 2024, 14:33

vivo V23 Pro
Apr 30, 2024, 14:33

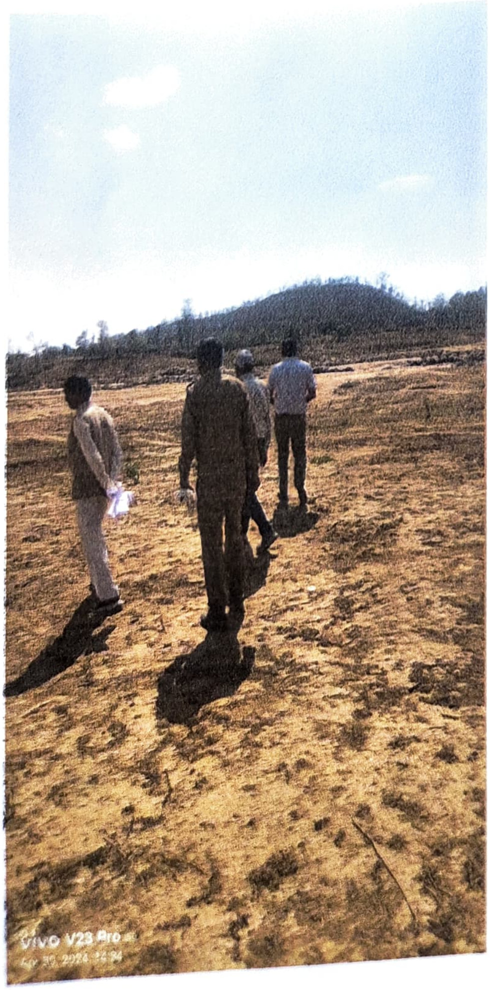
vivo V23 Pro

vivo V23 Pro
Apr 30, 2024, 14:35

vivo V23 Pro

vivo V23 Pro
Apr 30, 2024, 14:33

vivo V23 Pro
Apr 30, 2024, 14:33

vivo V23 Pro

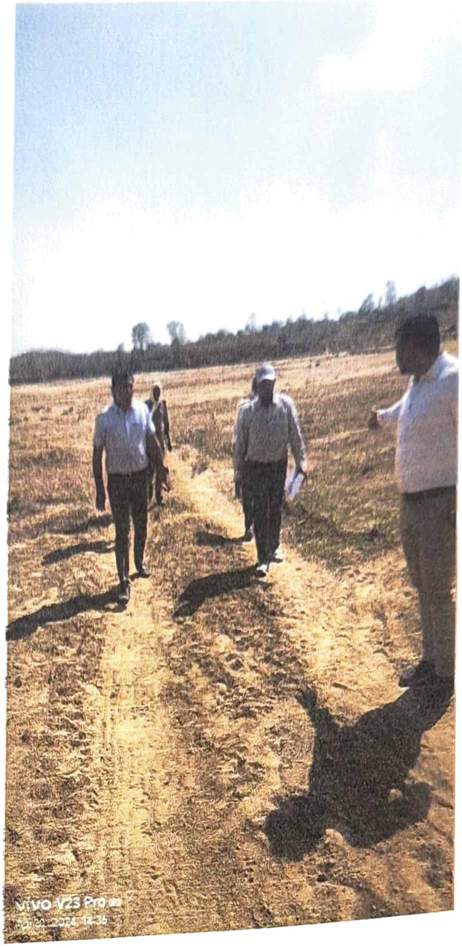
vivo V23 Pro

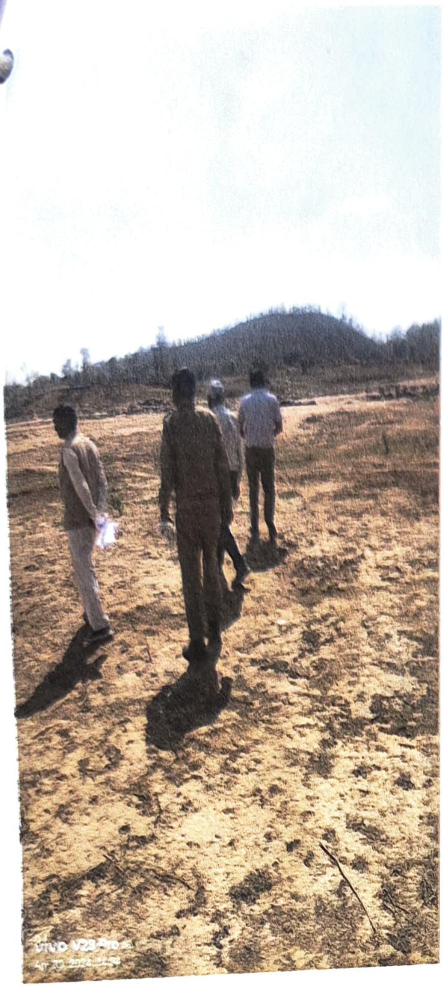
vivo V23 Pro

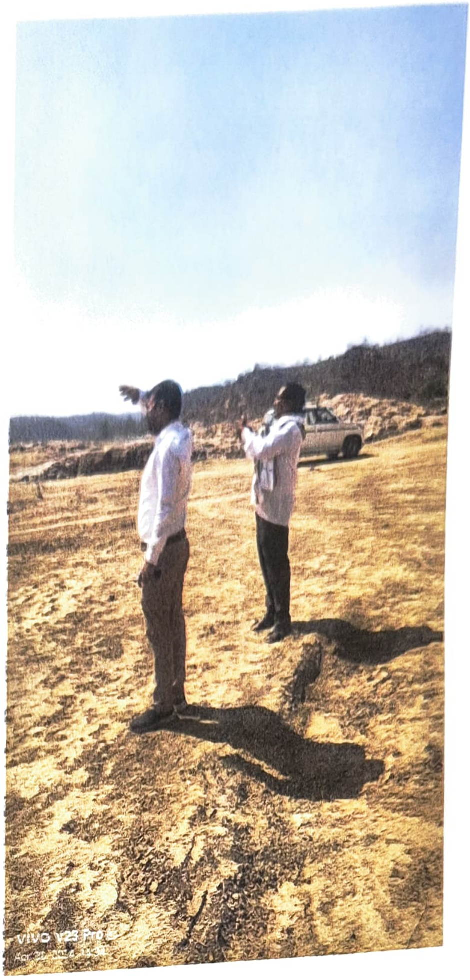
vivo V23 Pro

vivo V23 Pro

vivo V23 Pro